

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(स्थापना-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 21 जुलाई, 2018

- 1- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,  
नोयडा ।
- 2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य०)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4-समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।

**विषय:-विभाग में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य  
सेवानिवृत्त हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में ।**

शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र सं०--9/2018/13(1)/2007/का-1-2018 दिनांक 6 जुलाई, 2018 के अनुपालन में समूह-ग एवं घ के पदों पर दिनांक 31-07-2018 तक 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के संबंध में सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है ।

इस संबंध में उक्त शासनादेश सं०--9/2018/13(1)/2007/का-1-2018 दिनांक 6 जुलाई, 2018 संलग्नकों सहित इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने जोन के अधीन समूह-ग एवं घ के जिन कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी अधीनस्थ स्तर पर उपलब्ध हैं उनके संबंध में उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-03-2018 तक 50 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के ऐसे अकर्मण्य कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्यवाही दिनांक 31-7-2018 के पूर्व कराकर स्क्रीनिंग किये गये कर्मचारियों की सूची तुरन्त मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे । इसी क्रम में यह भी कहना है कि जिन अकर्मण्य कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी मुख्यालय पर हैं उनके विरुद्ध स्क्रीनिंग की कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रस्ताव 30-07-2018 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, ताकि उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर शासन को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया जा सके ।

क्रमश---2

(2)

उक्त कार्यवाही के उपरान्त यदि बाद में किस ऐसे अकर्मण्य कर्मचारी की सूचना संज्ञान में आती है जिसके मामले में विचार किया जाना छूट गया है तो ऐसे मामलों में संबंधित जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तरदायी माने जायेंगे। इसलिए उक्त प्रकरण में गंभीरतापूर्वक परीक्षणोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि कोई पात्र अकर्मण्य कर्मचारी विचार होने से छूट न जाये।

संलग्नक:-यथोपरि।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०पं०सं० व दिनांक // तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(संग्रह)वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर लोड कराने हेतु।

27/11/18

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 9/2018/13(1)/2007/का-1-2018

प्रेषक,

मुकुल सिंघल,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2018

विषय :-सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 में प्रकाशित " मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस को अवधि तीन मास होगी।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989, दिनांक 06 फरवरी, 1989, शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98, दिनांक 21 मई, 1993, शासनादेश संख्या-868/13/6-98-का-1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-199/का-1-2001, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-13(1)/2007/का-1-2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007 तथा शासनादेश संख्या-3/2017/13(1)/2007/का-1-2017, दिनांक 06 जुलाई, 2017 भी निर्गत किये गये हैं।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठातीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकल जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31.07.2018 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय। 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 31 मार्च, 2018 होगी, अर्थात् ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च, 2018 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आयेंगे।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की सूचना संकलित कर, समेकित रूप से, स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुकुल सिंघल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 9/2018/13(1)/2007(i)/का-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द मोहन चित्रांशी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संलग्नक**

**अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना  
वर्ष 2018-2019**

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायें	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष-							
2	पी0सी0एस0 संवर्ग-							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी-							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी-							
3	पी0सी0एस0 संवर्ग से भिन्न अधिकारी-							
	(क) श्रेणी "क"							
	(ख) श्रेणी "ख"							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
योग								

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://snasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संलग्नक**

**अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना  
वर्ष 2018-2019**

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायें	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष-							
2	पी0सी0एस0 संवर्ग-							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी-							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी-							
3	पी0सी0एस0 संवर्ग से भिन्न अधिकारी-							
	(क) श्रेणी "क"							
	(ख) श्रेणी "ख"							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।